मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/ 9347 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 24/09/11

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला .... समस्त (म.प्र.)

विषयः– मनरेगा कार्यो में मजदूरी भुगतान में विलम्ब के निराकरण विषयक।

--00--

विषयांतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के अन्तर्गत अकुशल श्रम भुगतान में हो रहे विलम्ब को कम करने के लिये पूर्व में निर्देशित किया गया है। जिलों में यद्यपि इस दिशा में कार्यवाही भी आरम्भ हुई है, परन्तु इस दिशा में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता है।

मध्यप्रदेश शासन ग्रामीण विकास विभाग के पत्र कमांक /903/एन आर–1/एम.जी. एन.आर.ई.जी.एस–एमपी/11 दिनांक 29.01.2011 के द्वारा साप्ताहिक भुगतान के संबंध में पूर्व में निर्देशित किया गया है, इस संबंध में हो रही कार्यवाही की नियमित समीक्षा करें।

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, कमांक 7703/एम.जी.एन.आर.ई. जी.एस.–एम.पी./एन.आर.–3/2011 दिनांक 26 जुलाई 2011 के द्वारा निर्देशित मनरेगा समस्या निवारण शिविर प्रत्येक माह लगाया जाये।

जिला पंचायत कार्यालय से क्रियान्वयन एजेंसियों को को राशि प्रदाय करने के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश कमांक 78/ /वित्त–लेखा/एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.–एम.पी./10 दिनांक 03.01.11 एवं कमांक 3443/वित्त–लेखा /एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.–एम.पी./11 दिनांक 29.03.11 जारी किये गये है, इन आदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि राशि का प्रवाह लगातार बना रहे।

मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकस विभाग, के पत्र कमांक 7778/एन.आर. –4/एन.आर.ई.जी.एस.–एम.पी./11 दिनांक 28.07.11 एवं मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास/सामाजिक न्याय विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र कमांक 8269/एन.आर. –4/11 दिनांक 10.08.11 द्वारा अकुशल श्रम भुगतान हेतु "सर्विस एरिया एप्रोच" की व्यवस्था बनाने एवं इस प्रकार इस व्यवस्था को "मध्यप्रदेश वित्तीय समावेशन के मॉडल" के रूप में कियान्वित किये जाने के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

योजना के अकुशल श्रम भुगतान के संबंध में उपर्युक्त निर्देशों के पालन की समीक्षा नियमित रूप से समयसीमा बैठकों में की जाये

20/9.

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
भोपाल

पृ.क्रमांक / 9348 /NR-4/MGNREGS-MP /11 भोपाल, दिनांक 24/09/11

प्रतिलिपि –

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला .... समस्त म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अरूणा शर्मा)
प्रमुख सचिव,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
भोपाल